

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ 9(18)/लेखा/प्र.मु.व.सं/2016-17/

दिनांक:-

## परिपत्र

यह देखने में आया है कि वन विभाग के अधिकांश कार्यालय एवं उसके अधीन रेंज कार्यालयों एवं वन विभाग की नर्सरियों आदि में पुराने सरप्लस/नकारा सामान एवं वाहन बड़ी संख्या में निस्तारण के अभाव में लम्बे समय से ज्यों के त्यों पड़े हुये हैं। विभागीय कार्यालयों द्वारा निस्तारण संबंधी कार्यवाही समय पर न करने के कारण नकारा सामग्री/वाहन की दिनों-दिन और क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है एवं उससे प्राप्त होने वाली राजस्व में कमी आती है।

राजस्व बजट निर्णायक समिति की बैठक में प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विभाग के नकारा सामान/वाहनों का त्वरित निस्तारण कर अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति की जावे।

अतः समस्त वनाधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप कार्यालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों परिसर एवं नर्सरियों में चिन्हित नकारा सामान/वाहन आदि का नियमानुसार निस्तारण दिनांक 31.03.2017 तक आवश्यक रूप से किया जा कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रगति से निम्न प्रारूप में सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे। यदि आपके कार्यालय में कोई नकारा सामान/वाहन नहीं है तो नकारा सामान/वाहन नहीं होने की संबंधी प्रमाण-पत्र भिजवाना सुनिश्चित करावें। उक्त तिथि पश्चात यदि सामान/वाहन निस्तारित होने से रह जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	दिनांक 01.04.16 को कुल अनुपयोगी/सामान/वाहन का पुस्तक मूल्य	नीलाम से शेष सामान/वाहन का पुस्तक मूल्य	सामान/वाहन की नीलामी से प्राप्त राशि
---------	-----------------	--	---	--------------------------------------

भवदीय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(HOFF)  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- समसंख्यक/9323-40

दिनांक:-30/1/2017

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (TREE) जयपुर,/(वन्यजीव), जयपुर/सिल्वीकल्चर, जयपुर/एन.टी.एफ. पी., जयपुर/डी.सी.एफ. एण्ड टी.ए., पीसीसीएफ, जयपुर/संभागीय मुवसं/मुवसं, अपने अधीन कार्यालय से सूचना प्राप्त कर उक्त प्रारूप में सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें एवं खण्ड कार्यालय उक्त सूचना अपने नियन्त्रण कार्यालय के माध्यम से भिजवाये।

वित्तीय सहायक  
वन विभाग  
राजस्थान, जयपुर